

शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद

प्रलिस के लयल:

शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, केशव देव मंदिर, औरंगजेब, [दाराशकोह](#), बनारस के राजा, बाबरी मस्जदल फैसला

मेन्स के लयल:

पूजा स्थलों से संबधतल वलवलदों के नवलरण में नयायपालकल का महत्त्व ।

[स्रोत: द हदु](#)

चर्चा में क्यो?

इलाहाबाद उच्च नयायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कल मथुरा में तीन गुंबद वाली मस्जदल शाही ईदगाह के लयल एक सर्वेक्षण कयल जाएगा ।

- यह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नकल स्थतल शाही ईदगाह मस्जदल का नरलक्षण करने के लयल एक आयोग कल नयलकृतल कल मांग कर रहा है ।

क्या है वलवलदतल भूमल कल इतहलस?

- ओरछा के राजा वलर सहल बुंदेला ने वर्ष 1618 में उसल परसलर में एक मंदलर बनवाया था तथल मस्जदल का नरलमाण वर्ष 1670 में औरंगजेब ने पहले के मंदलर के स्थान पर कराया था ।
- माना जाता है कल मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदलर का नरलमाण लगभग 2,000 वर्ष पूर्व, पहली शताब्दी ईसवी में हुआ था ।
- हदु परतनलधलयो दवारा उस परसलर के पूर्ण स्वामतलव कल मांग के कारण एक सर्वेक्षण का आदेश दयल गया है, जहाँ वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर केशव देव मंदलर को नष्ट कर दयल गया था ।
- यह मंदलर मूल रूप से वर्ष 1618 में जहाँगीर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इसका संरक्षण औरंगजेब के भाई तथल परतदलवंदवी [दाराशकोह](#) ने कयल था ।
- वर्ष 1815 में बनारस के राजा ने ईस्ट इंडया कंपनी से 13.77 एकड़ भूमल खरलदी ।
- तत्पश्चात् श्री कृष्ण जन्मभूमल ट्रस्ट कल स्थापना कल गई ।
 - ट्रस्ट ने वर्ष 1951 में मंदलर पर अपना स्वामतलव हासलल कर लयल ।
 - 13.77 एकड़ भूमल इस शर्त के साथ ट्रस्ट के अधलन रखल गई थी कल इसे कभी बेचा अथवा गरलवी नही रखा जाएगा ।
 - वर्ष 1956 में मंदलर संबधी मामलों के परबंधन के लयल श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ कल स्थापना कल गई ।
 - वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ तथल शाही ईदगाह मस्जदल ट्रस्ट के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर कयल गए, जसलके तहत मंदलर प्राधकलरण ने समझौते के हसलसे के रूप में भूमल कल एक हसलसा ईदगाह को दयल ।
 - वर्तमान में चल रहे वलवलद में मंदलर के याचकलकरत्ता शामिल हैं जो भूमल के संपूर्ण हसलसे पर कब्जा चाहते हैं ।

मुददे कल वर्तमान स्थतल कल है?

- सर्वेक्षण कल मांग के लयल याचकल हदु देवता, श्री कृष्ण कल ओर से सात लोगों दवारा दायर कल गई थी, जलन्होंने नयायालय के समक्ष लंबतल अपने मूल मुकदमे में दावा कयल था कल मस्जदल का नरलमाण वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर कयल गया था ।
 - वर्ष 2019 में बाबरी मस्जदल नरलणय के बाद से श्री कृष्ण जन्मभूमल तथल शाही ईदगाह मस्जदल से संबधतल नौ मामले मथुरा नयायालय में दायर कयल गए हैं ।
- इलाहाबाद उच्च नयायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमल-शाही ईदगाह मस्जदल वलवलद से संबधतल वलभलनन राहतों पर मथुरा नयायालय के समक्ष लंबतल सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरतल कर लयल ।
- [उच्च नयायालय](#) में उ.पर. सुन्नी सेंटरल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जदल कमेटी ने दललल दी कल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मस्जदल

के अधीन नहीं है।

◦ उन्होंने कहा कविादी के दावे में सबूतों का अभाव है और यह अटकलों पर आधारित है।

- शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट ने जब उच्च न्यायालय से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की तो न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 क्या है?

■ परिचय:

◦ इसे धार्मिक उपासना स्थलों की स्थिति को स्थिर करने के लिये अधिनियमित किया गया था क्योंकि 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे और किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाते हैं एवं उनके धार्मिक चरित्र के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं।

■ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

◦ धर्मांतरण पर रोक (धारा 3):

• यह किसी उपासना स्थल को, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में या एक ही संप्रदाय के भीतर परिवर्तित करने से रोकता है।

◦ धार्मिक चरित्र का रखरखाव {धारा 4(1)}:

• यह सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान वही बनी रहे जो 15 अगस्त, 1947 को थी।

• ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया रुख से पता चलता है कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 “किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र” को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

◦ लंबित मामलों का नविवरण {धारा 4(2)}:

• घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले किसी पूजा स्थल को धार्मिक चरित्र में बदलने के संबंध में चल रही कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी और कोई नया मामला प्रारंभ नहीं किया जा सकता है।

◦ अधिनियम के अपवाद (धारा 5):

• यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है।

• इसमें वे मामले भी शामिल नहीं हैं जो पहले ही निपटाए जा चुके हैं या सुलझाए जा चुके हैं और ऐसे विवाद जिन्हें आपसी समझौते से सुलझाया गया है या अधिनियम लागू होने से पहले हुए रूपांतरण शामिल हैं।

• यह अधिनियम अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से जाने वाले वशिष्ठ पूजा स्थल तक विस्तारित नहीं है, जिसमें इससे जुड़ी कोई कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।

◦ दंड (धारा 6):

• अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने सहित दंड नरिदष्टि करती है।